न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी – पीयुष समारिया
आई0ए0एस0

प्रार्थना पत्र सं0 116/2011

1. जगदीश प्रसाद पुत्र श्री हरसहाय, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम पाटोली तहसील महवा जिला दौसा

...प्रार्थी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बनाम

1. परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एन.एच. 11 पी.आई.यू. जयपुर कार्यालय 156, गिरनार कॉलोनी, गांधी पथ वैशाली नगर जयपुर।
2. भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी महवा।
3. आई जे एम इण्डिया इनफ्रास्ट्रेक्चर कम्पनी लिमिटेड, नवोदय विद्यालय के सामने बेस कैम्प खेडली तहसील व जिला दौसा।

...अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3जी(5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 बाबत मुआवजा राशि दिलवाने बाबत।

उपस्थिति– 1. श्री मानसिंह गुर्जर अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री दीपक शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 की ओर से

निर्णय

दिनांकः 02.12.2020

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3जी(5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 बाबत मुआवजा राशि दिलवाने बाबत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की ग्राम पाटोली तहसील महवा में आराजी खसरा नम्बर 453 भूमि स्थित है। उक्त वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 453 में से 1380 वर्गमीटर भूमि फोरलेनीकरण वास्ते अधिग्रहित की गई थी। सक्षम अधिकारी द्वारा प्रार्थी की उक्त वादग्रस्त आराजी का बहुत कम दर से कृषि दर से मुआवजा तय किया गया है जो कि वास्तविक रूप से भूमि की वास्तविक मार्केट वैल्यू से बहुत ही कम है। प्रार्थी की उक्त बहुमूल्य जमीन एन0एच0 11 पर स्थित है तथा वाणिज्यिक उपयोग की है, जो कि भविष्य में वाणिज्यिक उपयोग में आती है। प्रार्थी की जमीन के पास ही मेहन्दीपुर बालाजी का पूरा बाजार है। सक्षम अधिकारी द्वारा अपनी मनमर्जी से जमीन की डी0एल0सी0 दर निर्धारित की जाकर बिना मौके, भूमि की स्थिति पर मुआवजा राशि तय कर दी है, जो वास्तविक रूप से मार्केट वैल्यू से बहुत कम है। वादग्रस्त आराजी के अवाप्तशुदा रकबे में बोरिंग स्थित था, जिसका भी सक्षम अधिकारी ने कोई मुआवजा अदा नहीं किया। प्रार्थी की उक्त अवाप्ताधीन भूमि में बहुमूल्य किस्म के 10 सागवान व 2 नीबू के तथा 10 नीम के पेड थे, जिनका भी मुआवजा सक्षम अधिकारी ने अवार्ड में नहीं बताया। प्रार्थी को बिना उचित मुआवजा अदा किये बिना विपक्षी सं0 2 ने विपक्षी संख्या 1 व 3 से मिलकर सडक निर्माण कार्य करवा दिया। अतः प्रार्थी को उक्त वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 453 वाके ग्राम पाटोली में से अवाप्तशुदा भूमि की अस्सी लाख रूपये प्रति बीघा की दर से मुआवजा राशि तथा नष्ट हुए बोरिंग तथा पेड की 5 लाख रूपये मुआवजा राशि कुल पिच्यासी

लाख रूपये मुआवजा राशि अवाप्ति के दिनांक से मय ब्याज दिलवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया व भूमि अवाप्ति अधिकारी टोडाभीम से टिप्पणी प्राप्त की गई। उपस्थित अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि प्रार्थी को उक्त वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 453 वाके ग्राम पाटोली में से अवाप्तशुदा भूमि की अस्सी लाख रूपये प्रति बीघा की दर से मुआवजा राशि तथा नष्ट हुए बोरिंग तथा पेड की 5 लाख रूपये मुआवजा राशि कुल पिच्यासी लाख रूपये मुआवजा राशि अवाप्ति के दिनांक से मय ब्याज दिलवाने हेतु निवेदन किया गया है।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जवाब बहस में निवेदन किया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3 जी के तहत अवाप्तशुदा भूमि का मूल्य एवं निर्माण की मुआवजा राशि का निर्धारण कराया गया व राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3 जी(7) में दिये गये निर्देशों की पालना में सक्षम अधिकारी द्वारा अवाप्तशुदा भूमि की मुआवजा राशि की गणना उप पंजीयक से प्राप्त डी.एल.सी. के आधार पर किया गया। अवाप्तशुदा भूमि के सर्वे के दौरान पाये गये निर्माण आदि के मुआवजा का निर्धारण राजस्थान सरकार के बेसिक शिड्यूल ऑफ रेट के आधार पर किया गया। अवार्ड राशि का भुगतान राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा सक्षम अधिकारी को जमा करा दिया गया है। अवाप्तशुदा वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 453 में से प्रार्थीगण की अवाप्तशुदा 1380 वर्गमीटर चाही 1 किस्म की मुआवजा राशि 11,13,000/– प्रति है0 की दर से 1,53,594/–रूपये, 10 प्रतिशत अतिरिक्त सुखाचार क्षतिपूर्ति राशि 15,359 रूपये कुल 1,68,953 रूपये निर्धारित की गई। सक्षम अधिकारी द्वारा तथ्यों, मौके की स्थिति व रिकार्ड के आधार पर मुआवजा राशि का अवार्ड आदेशित किया गया है। प्रार्थी ने नितान्त ही गलत आधारों पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो स्वीकार करने योग्य नहीं है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपखण्ड अधिकारी, टोडाभीम द्वारा प्रेषित रिपोर्ट क्रमांक 1091 दिनांक 28.8.19 में अंकितानुसार राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 जयपुर–महवा चारलेन विस्तार कार्य हेतु ग्राम पाटौली तत्कालीन तहसील टोडाभीम हाल तहसील महवा में भूमि अवाप्ति के दौरान ग्राम पाटौली में स्थित खसरा नंबर 453 किस्म चाही प्रथम में 1380 वर्गमीटर भूमि अवाप्त की गई थी। उक्त खसरा नंबर में कोई संरचना वृक्ष आदि नहीं थे तथा तत्समय डीएलसी दर 11,13,000/– प्रति हैक्टर प्रभावी थी। डीएलसी दर पर मुआवजा भुगतान करने का राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 में प्रावधान किया गया है। अधिनियम के नियमानुसार जगदीश पुत्र हरसहाय गुर्जर निवासी पाटोली को ख0नं0 453 से अवाप्त रकबा 1380 वर्गमीटर की चाही दर से राशि 153,594/– इसके अतिरिक्त भूमि की कीमत दर 10 प्रतिशत मुआवजा राशि 15359.4/– कुल राशि 168953/– का भुगतान चैक संख्या 636 से वर्ष 2007 में ही कर दिया गया है। प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

प्रार्थना पत्र सं0 116/2011

हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात यह स्पष्ट है कि ग्राम पाटौली में स्थित खसरा नंबर 453 किस्म चाही प्रथम में से 1380 वर्गमीटर भूमि अवाप्त की गई थी। उक्त भूमि राजस्व रेकार्ड के अनुसार कृषि भूमि दर्ज रेकार्ड है, जिसका तत्समय प्रचलित डी0एल0सी0 दर के आधार पर अवार्ड पारित किया गया था। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि वाणिज्यिक होने का कोई साक्ष्य/सबूत प्रस्तुत नहीं किया, जिससे प्रार्थी के कथन की पुष्टि की जा सकें।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय की प्रति भिजवाई जावें। पत्रावली फैसलशुमार की जाकर बाद पूर्ति प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(पीयुष समारिया)
जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 02.12.2020 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पीयुष समारिया)
जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
जिला कलेक्टर,दौसा